न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/22/2021	08–02–2021	01–03–2020

1–नित्यानन्द पुत्र रामजी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना
2–मोहन लाल पुत्र गजानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना
3–बलराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना
4–रणसिंह पुत्र श्री राम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1–राकेश पुत्र श्री शीशराम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना
2–सोनू पुत्र श्री शीशराम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना
3–मन्जू पुत्री श्री शीशराम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना
4–सुनीता पुत्री श्री शीशराम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील नीमराना
5–शीशराम दत्तक पुत्र प्रभू दयाल जाति अहीर निवासी माजरीकलां तहसील नीमरामा
6–श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर ––––––––––असल अप्रार्थीगण
7–उप पंजीयक नीमराना तहसील नीमराना
8–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर ––––––––––तर0अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री ब्रहम प्रकाश यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमावत –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2021 बअनुवानी राकेश वगैरा बनाम शीशराम वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा में वाद संख्या 49/2021 बअनुवानी राकेश वगैरा बनाम शीशराम वगैरा विचाराधीन है। वाद में वर्णित आराजी के प्रार्थी खरीरदार काबिज काश्तकार खातेदार है। वाद में वादी व उनके पिता प्रतिवादी सं0 1 आपस में साजबाज हो गये। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं0 6 द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। और विगत पेशी ऐलानिया तौर पर कहा कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से सुनकर स्टे आदेश जारी कर दूगा। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐनकेन प्रकरण मुकदमा में स्टे आदेश असल अप्रार्थी के हक में जारी करने की दहशत व धमकी प्रार्थी को दी गई है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं0 6 से सांठ–गांठ कर ली गई है, और उसके कार्यालय के चैम्बर व उनके निवास स्थान पर आते जाते अपनी आंखो से देखा है। अप्रार्थी काफी असरदार व रजनैतिक व्यक्ति है। अप्रार्थी की तरफ से अब यह पूरा अन्देशा हो गया है कि वो पीठासीन अधिकारी से मिल कर उक्त मुकदमें को खत्म

जिला कलक्टर, अलवर

करवा देगें। प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करेगें, पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण को बेजा लाभ पहुचाने की फिराक में है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। बअनुवानी प्रकरण प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार वगैरा को खारिज कराने की कौशिश में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण प्रकरण संख्या 49/2021 बअनुवानी राकेश वगैरा बनाम शीशराम वगैरा में प्रार्थी आराजी पर बतौर खातेदार काबिज नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर रहें है, और ना ही प्रार्थी को कोई धमकी किसी प्रकार की दी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के गलत तथ्य दर्ज करते हुऐ पेश किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली एवं तहत अदालत की टिप्पणी का अवलोकन किया। तहत अदालत टिप्पणी में प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तथा आरोपों के खण्डन में कोई प्रमाणित साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2021 बअनुवानी राकेश वगैरा बनाम शीशराम वगैरा को उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी नीमराना तत्काल उक्त प्रकरण संख्या 49/2021 बअनुवानी राकेश वगैरा बनाम शीशराम वगैरा की पत्रावली उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर